न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 87/2025(GCMS : 2025/)

Vastu Housing Finance Corporation Limited, Unit No. 203 & 204, 2nd Floor "A Wing, Navbharat Estate Zakarian Bunder Road, Sewri(West) Mumbai, Maharashtra-400015 **2.** First Floor, Marudhar Plaza, F-300, Shyam Nagar New Sanganer Road,, New Sanganer Road. Opposite Metro Pillar No. 102, Sodala Jaipur, Rajasthan

बनाम

1. **Mr. Shyo Prakash Thori Resident Address** : Ward No. 1, Likhmewala, Temple Raisinghnagar, Sriganganagar Rajasthan 335051 **Property Address** Kila No. 21/2 Mu No. 34, Pathar No. 224/288 Khata No. 116/56 Chak No. 27 PS Raisinghnagar Sriganganagar Rajasthan 335051
2. **Anita Devi Resident Address** : Ward No. 1, Likhmewala, Temple Raisinghnagar, Sriganganagar Rajasthan 335051 **Property Address** Kila No. 21/2 Mu No. 34, Pathar No. 224/288 Khata No. 116/56 Chak No. 27 PS Raisinghnagar Sriganganagar Rajasthan 335051
3. Mr. Kamlesh **Address** : Ward No. 1, Likhmewala, Temple Raisinghnagar, Sriganganagar Rajasthan 335051

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप गोदारा एवं कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण श्योप्रकाश थोरी, अनिता देवी एवं कमलेश को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/—लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.02.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 15.05.2024 को 8,60,602/— रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी अनिता देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 21/2, मुरब्बा संख्या 34, पत्थर संख्या 224/288, खाता संख्या 116/56 चक संख्या 27 पीएस लिखमेवाला रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान —335051 पर स्थित**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.05.23 15:44:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8125 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं है : उत्तर में – श्री भानीराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में श्री भानीराम की कृषि भूमि एवं पश्चिम में श्री नेतराम की भूमि), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण श्योप्रकाश थोरी, अनिता देवी एवं कमलेश** को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/–लाख रूपये **(अखरे रूपये आठ लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 15.02.2023 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनिता देवी ने अपनी अचल **आवासीय सम्पत्ति किला नं. 21/2, मुरब्बा संख्या 34, पत्थर संख्या 224/288, खाता संख्या 116/56 चक संख्या 27 पीएस लिखमेवाला** रायसिंहनगर जिला **श्रीगंगानगर, राजस्थान –335051 पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8125 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं है : उत्तर में – श्री भानीराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में श्री भानीराम की कृषि भूमि एवं पश्चिम में श्री नेतराम की भूमि),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के [illegible] से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के [illegible] की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी अनिता देवी की अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 21/2, मुरब्बा संख्या 34, पत्थर संख्या 224/288, खाता संख्या 116/56 चक संख्या 27 पीएस लिखमेवाला रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान —335051 पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8125 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं है : उत्तर में — श्री भानीराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में श्री भानीराम की कृषि भूमि एवं पश्चिम में श्री नेतराम की भूमि) जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.05.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) को नोटिस दो समाचार पत्रों [illegible]श एवं इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 23.06.2024 को प्रकाशित करवाया [illegible] जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अनिता देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाईनेंस का. लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार** किया जाता है और अप्रार्थी **ऋणी अनिता देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 21/2, मुरब्बा संख्या 34, पत्थर संख्या 224/288, खाता संख्या 116/56 चक संख्या 27 पीएस लिखमेवाला** रायसिंहनगर **जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान –335051 पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8125 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं है : उत्तर में – श्री भानीराम की भूमि, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में श्री भानीराम की कृषि भूमि एवं पश्चिम में श्री नेतराम की भूमि), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर